# कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, मेरठ।

विज्ञप्ति संख्या: — /आबकारी/मेरठ/व्यवस्थापन/2025–26/दिनांक: फरवरी 11 ,2025

## विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2025–26 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या: 09/2025/255 ई–2/तेरह–2025–01/2025–1888979 दिनांक: 06.02.2025 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 7617/दस–लाइसेन्स–367/सुझाव आबकारी नीति/2025–26, प्रयागराज, दिनांक: 06.02.2025 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद मेरठ में वर्ष 2025–26 हेतु देशी मदिरा एवं माडल शाप दुकानों सहित कम्पोजिट दुकानों का ई–लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन की प्रक्रिया दिनांक 14.02.2025 से प्रारम्भ होगी। सर्वप्रथम दुकानों की ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्र दिनांक 14.02.2025 (समय अपरान्ह 04:00 बजे) से दिनांक 27.02.2025 (समय सायं 5:00 बजे) तक ई–लाटरी पोर्टल **https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in** पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते है। आवेदित दुकानों के व्यवस्थापन हेतु ई–लाटरी का प्रथम चरण दिनांक 06.03.2025 को समय पूर्वान्ह 11:00 बजे से प्रारंभ किया जायेगा।

जनपद में मदिरा की फुटकर बिकी की दुकानों का आवंटन ई–लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदकों द्वारा जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद की वेबसाइट **https://meerut.nic.in** एवं ई–लाटरी पोर्टल **https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in** पर देखी जा सकती है।

(प्रदीप कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी
मेरठ।

(डॉ वी0के0 सिंह)
कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी,
मेरठ।

संख्या २६२१-२६/तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रयागराज।
2– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मेरठ।
3– संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ जोन, मेरठ।
4– उप आबकारी आयुक्त, मेरठ प्रभार, मेरठ।
5– सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन 13 से0मी0 x 13 से0मी0 (लगभग) अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर, बिल की प्रति जिला सूचना अधिकारी मेरठ से सत्यापित कराते हुए भुगतान हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ में उपलब्ध कराएं।
6– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति का प्रकाशन जनपद की वेब साइट पर कराने का कष्ट करें।

(प्रदीप कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
मेरठ।

Scanned with CamScanner

शासनादेश संख्याः 09/2025/255 ई–2/ तेरह–2025–01/2025–1888979 दिनांकः 06.02.2025 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्याः 7617/दस–लाइसेन्स–367/सुझाव आबकारी नीति/2025–26, प्रयागराज, दिनांकः 06.02.2025 के क्रम में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 2620/आबकारी/मेरठ/व्यवस्थापन/2025–26/मेरठः दिनांकः फरवरी 11, 2025 के साथ पठनीय महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तो का प्रकाशन **meerut.nic.in** पर निम्नवत् है:—महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तो का आवेदक उपरोक्त आबकारी नीति के साथ सम्मिलित रूप से पठन करें।

**1**—वर्ष 2025–26 के लिये देशी शराब, विदेशी मदिरा व बियर की फुटकर बिक्री की कम्पोजिट दुकानों का गठन कर एवं माडल शाप्स की फुटकर बिक्री की दुकानों की ई–लाटरी किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2025–26 हेतु दुकानों के व्यवस्थापन में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा सभी को समान अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से तथा व्यापक राजस्व हित में वर्ष 2025–26 हेतु देशी मदिरा की समस्त दुकानों, कम्पोजिट दुकानों, सभी मॉडल शॉप (प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों को छोड़कर) का व्यवस्थापन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर ई–लाटरी के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा।

**2**—अनुज्ञापियों के व्यवसाय में स्थायित्व लाने, दुकानों में किये जाने वाले निवेश को प्रोत्साहित करने तथा राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2025–26 में ई–लाटरी द्वारा व्यवस्थित समस्त दुकानों को वर्ष 2026–27 हेतु नवीनीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा। ई–लाटरी प्रकिया प्रारम्भ किये जाने से पूर्व प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं कम्पोजिट दुकानों को छोड़ते हुये, अन्य समस्त फुटकर दुकानों के एम0जी0क्यू0/न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व/लाइसेंस फीस को संबंधित दुकान की गत 03 वर्षों में हुयी बिक्री, एम0जी0क्यू0/एम0जी0आर0 के अंतरण व नवीनीकरण को संज्ञान में लेते हुये तर्क संगत ढंग से पुनर्आवंटित किया जायेगा। किसी भी दुकान के वर्ष 2024–25 हेतु व्यवस्थित एम0जी0क्यू0/न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व/लाइसेंस फीस आदि को इसके 70 प्रतिशत से कम निर्धारित नहीं किया जायेगा परन्तु किसी भी दुकान के वर्ष 2024–25 हेतु व्यवस्थित एम0जी0क्यू0/न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व/लाइसेंस फीस में वृद्धि की कोई सीमा नहीं होगी।

**3**—आबकारी नीति के प्रस्तर 5.1.2, 5.6.1 एवं 5.8.1 के अनुसार (कम्पोजिट दुकानों को छोडकर) अन्य दुकानों के एम0जी0क्यू0/न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व/लाइसेंस फीस आदि में वृद्धि करते हुये वर्ष 2025–26 हेतु इनका निर्धारण वर्ष 2025–26 की नीति के अनुसार किया जायेगा। कम्पोजिट दुकानों के सम्बन्ध में वर्ष 2025–26 हेतु लाइसेंस फीस एवं न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का निर्धारण प्रस्तर– 5.2.1 के अनुसार रहेगा।

**4**—किसी दुकान के लिये किसी आवेदक द्वारा 01 (एक) ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदन पर पृथक–पृथक प्रोसेसिंग फीस देय होगी। एक दुकान हेतु किसी आवेदक का 01 से अधिक आवेदन पाये जाने पर 01 से अधिक समस्त अतिरिक्त आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुये इनकी प्रोसेसिंग फीस समपहृत कर ली जायेगी। एक आवेदक द्वारा एक से अधिक दुकानों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकते है, परन्तु एक आवेदक को सम्पूर्ण प्रदेश में अधिकतम 02 दुकानें ही ई–लॉटरी प्रकिया में आवंटित हो सकेंगी। आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना नॉमिनेशन शपथ–पत्र तथा नॉमिनी का सहमति शपथ पत्र ई–लाटरी पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदकों के पैन के अधिप्रमाण की ऑनलाइन सुविधा सक्षम संस्था से ई–लाटरी पोर्टल पर प्राप्त की जायेगी।

**5**—वर्ष 2025–26 हेतु दुकानों की प्रोसेसिंग फीस का निर्धारण निम्नवत किया गया है:–

| फुटकर दुकान का प्रकार | आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस रूपये में | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | विशिष्ट नगर निगमों के आच्छादित क्षेत्र व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी–1) | श्रेणी–1 को छोड़कर अन्य नगर निगम व इसकी सीमा से 03 किमी0 की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी–2) | नगर पालिका व इसकी सीमा से 03 किमी0 की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी–3) | नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 किमी0 की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी–4) | ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी–5) |
| देशी मदिरा | 65,000 | 60,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 |
| कम्पोजिट दुकान | 90,000 | 85,000 | 75,000 | 65,000 | 55,000 |
| मॉडल शॉप | 1,00,000 | 90,000 | 80,000 | 70,000 | 60,000 |

Scanned with CamScanner

6—ई—लाटरी का प्रथम चरण वर्ष 2025—26 हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस/वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व (जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन प्रस्तर—5.6.1 के अनुसार किया जायेगा) पर होगा। ई—लाटरी से व्यवस्थित होने वाली दुकान की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत ई—लाटरी की तिथि से 10 दिवस के अंदर, 30 प्रतिशत ई—लाटरी की तिथि से 25 दिवस के अन्दर एवं अवशेष 20 प्रतिशत ई—लाटरी की तिथि से 35 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। इस सारिणी से विचलन की स्थिति की दशा में 2,000/— प्रति दिवस की दर से विलम्ब शुल्क आरोपित होगा। विलम्ब शुल्क सहित मात्र 15 दिवस की अवधि प्रतिभूति जमा करने हेतु अनुमन्य होगी और इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति जमा न करने पर आवंटन/अनुज्ञापन निरस्त किये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु प्रतिभूति के रूप में केवल ऑनलाइन सत्यापन योग्य एवं आबकारी आयुक्त अथवा जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड ई—बैंक गारण्टी ही स्वीकार की जायेगी।

7—ई—लाटरी का प्रत्येक चरण सम्पूर्ण प्रदेश में एक ही दिन में सम्पन्न कराया जायेगा, जिसे एन0आई0सी0 के माध्यम से कराया जायेगा। वर्ष 2025—26 में मदिरा की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण—पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण—पत्र (दिनांक 01.01.2024 के पश्चात् निर्गत हुआ हो) व आयकर रिटर्न का विवरण अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा तथा साथ ही निर्धारित शपथ—पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

8—ई—लॉटरी में सम्मिलित होने हेतु समस्त आवेदको को ई—लाटरी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

9—मदिरा दुकानों की कार्यावधि गतवर्ष की भाँति प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगी।

10—प्रस्तर—5.11(5) वर्ष 2025—26 में ईज आफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से ई—लाटरी हेतु आवेदन प्रकिया में धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को पोर्टल पर अपलोड करने और बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान समाप्त किया गया है।

प्रथम चरण में मदिरा की फुटकर दुकानों के ई—लाटरी हेतु समय सारणी निम्नवत है:—

| क्र0 | विवरण | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | समस्त देशी मदिरा/कंपोजिट की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स की सूची, सम्बन्धित देयताओं एवं आवश्यक अर्हताओं के विवरण के साथ तैयार करने एवं दुकानों का वर्ष 2025—26 का डेटा भरने एवं ई—लाटरी हेतु दुकानों को मार्क करने की अन्तिम तिथि व समय | 13.02.2025 को सांय 6:00 बजे तक |
| 2 | ई—लाटरी हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ करने की तिथि व समय | 14.02.2025 को अपरान्ह् 4:00 बजे से |
| 3 | ई—लाटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने एवं प्रोसेसिंग फीस का भुगतान प्रारम्भ करने की तिथि व समय | 17.02.2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से |
| 4 | ई—लाटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय | 27.02.2025 को सांय 5:00 बजे तक |
| 5 | ई—लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण करके आवेदन पत्रों को ई—लाटरी हेतु मार्क करके डाटा लॉक करने की अन्तिम तिथि व समय | 04.03.2025 को सांय 5:00 बजे तक |
| 6 | प्रथम चरण की ई—लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल | 06.03.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से समाप्ति तक जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर |
| 7 | प्रथम चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा करने की अंतिम तिथि व समय | 11.03.2025 को सांय 5:00 बजे तक |

नोटः—यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद सम्बन्धित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत संपादित किये जायेंगे।

11—वर्ष 2025—26 हेतु वर्ष 2024—25 के व्यवस्थित एवं तर्कसंगत किये गये वार्षिक एम.जी.क्यू. पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर, देशी मदिरा दुकानों का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जाएगा। उपरोक्तानुसार आगणित दुकानवार वार्षिक एम.जी.क्यू. के 12 से पूर्णतः विभाजित न हो सकने की स्थिति में इसे अगली संख्या तक, जो 12 से विभाज्य हो, बढ़ा कर वर्ष 2025—26 हेतु अंतिमीकृत एम0जी0क्यू0 निर्धारित किया जायेगा।

12—देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेन्स फीस की दर रू0 32/— प्रति बल्क लीटर वार्षिक एम0जी0क्यू0 के आधार पर निर्धारित करते हुये अगले रूपया 1000/— के गुणक में निर्धारित की जायेगी । मासिक एम0जी0क्यू0 से अधिक देशी मदिरा अथवा यू0पी0एम0एल0 के अतिरिक्त उठान पर अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस न लिये जाने की व्यवस्था रखी गयी है। नवसृजित देशी मदिरा दुकानों एवं मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली दुकानों अथवा ई—टेण्डर से व्यवस्थित होने वाली दुकानों की बेसिक लाइसेन्स फीस भी अगले रू0 1000/— के गुणक में निर्धारित की जायेगी।

Scanned with CamScanner

13—जनपद की समस्त एफ0एल0—5डी दुकानों के कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व वर्ष 2024—25 में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये गठित कम्पोजिट दुकानों में तर्कसंगत रूप से पुनर्आवंटित किया जायेगा। इस पुनर्आवंटन की प्रकिया में समस्त कम्पोजिट दुकानों पर आवंटित विदेशी मदिरा का कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व, वर्ष 2024—25 में निर्धारित जनपद के समस्त एफ0एल0—5डी दुकानों के कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व एवं इस पर 5 प्रतिशत वृद्धि के पश्चात प्राप्त योग से कम नहीं होगा। इस प्रकार आवंटित न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व रू0 5,000/— के निकटतम अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा जो वर्ष 2025—26 हेतु कम्पोजिट दुकान का निर्धारित वार्षिक एम0जी0आर0(एफ0एल0) होगा जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन प्रस्तर—5.6.1 के अनुसार होगा। तत्पश्चात लाइसेंस फीस दर—1 के आधार पर विदेशी मदिरा की लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस—1) का आगणन किया जायेगा। इस प्रकार गठित किसी भी कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस—1 एवं तदनुसार सम्बन्धित एम0जी0आर0 प्रस्तर—5.9.2.1 में प्राविधानित न्यूनतम से कम नहीं होगा।

14—जनपद की समस्त एफ0एल0—5बी दुकानों के कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व वर्ष 2024—25 में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये इसको उपरोक्त उप प्रस्तर—(3) के अनुसार गठित कम्पोजिट दुकानों में तर्कसंगत रूप से पुनर्आवंटित किया जायेगा। इस पुनर्आवंटन की प्रकिया में समस्त कम्पोजिट दुकानों पर आवंटित बियर का कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व, वर्ष 2024—25 में निर्धारित जनपद के समस्त एफ0एल0—5बी दुकानों के कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व एवं इस पर 5 प्रतिशत वृद्धि के पश्चात प्राप्त योग से कम नहीं होगा। इस प्रकार आवंटित न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व रू0 5,000/— के निकटतम अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा जो वर्ष 2025—26 हेतु कम्पोजिट दुकान का निर्धारित वार्षिक एम0जी0आर0(बीयर) होगा जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन प्रस्तर—5.6.1 के अनुसार होगा। तत्पश्चात लाइसेंस फीस दर—2 के आधार पर बीयर की लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस—2) का आगणन किया जायेगा। इस प्रकार गठित किसी भी कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस—2 एवं तदनुसार सम्बन्धित एम0जी0आर0 प्रस्तर—5.9.2.1 में प्राविधानित न्यूनतम से कम नहीं होगा।

15—उपरोक्तानुसार आंगणित लाइसेंस फीस—1 एवं लाइसेंस फीस—2 को निकटतम रू0—5,000/— के अगले गुणक तक राउण्ड ऑफ कर अंतिमीकृत किया जायेगा। इस प्रकार आगणित अंतिमीकृत लाइसेंस फीस—1 एवं अंतिमीकृत लाइसेंस फीस—2 का योग कम्पोजिट दुकान की वर्ष 2025—26 हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस होगी। प्रत्येक कम्पोजिट दुकान की अंतिमीकृत लाइसेंस फीस—1 एवं अंतिमीकृत लाइसेंस फीस—2 और सम्बन्धित एम0जी0आर0 (एफ0एल0) एवं एम0जी0आर0(बीयर) का प्रत्येक स्तर पर लेखा—जोखा रखा जाना अनिवार्य होगा।

16—यदि किसी कम्पोजिट दुकान के परिसर में माडल शाप हेतु आवश्यक अर्हतायें विद्यमान हो एवं लाइसेंस फीस नवसृजित माडल शाप की लाइसेंस फीस के बराबर अथवा अधिक हो तो सम्बन्धित अनुज्ञापी के अनुरोध पर कम्पोजिट दुकान को माडल शाप में परिवर्तित किये जाने का प्राविधान है। कम्पोजिट दुकानो की प्रतिभूति उनकी लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी। कम्पोजिट दुकानों पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

17—मॉडल शॉप्स की वर्ष 2025—26 हेतु प्रस्तर—5.11(1) के अनुसार तर्कसंगत रूप से पुनर्आवंटित की गयी वार्षिक लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये निर्धारित की गयी है। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5,000/— के गुणक में नहीं पायी जाती है तो उसे बढ़ाकर रूपया 5,000/— के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा। वर्ष 2023—24 में नवीनीकृत मॉडल शाप की लाइसेंस फीस सम्बन्धित प्रास्थिति, निकाय के लिये नवसृजित माडल शाप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम नहीं होने की व्यवस्था को समाप्त किया गया है। उक्त निर्णय वर्ष 2025—26 में यथावत रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु माडल शाप के परिसर का न्यूनतम आवश्यक कार्पेट क्षेत्र 400 वर्ग फुट निर्धारित किया जाता है। नगर निगम क्षेत्रों मे यदि किसी माडल शॉप के परिसर का कारपेट क्षेत्र (प्रयुक्त समस्त तलों के क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये) 3000 वर्ग फुट अथवा अधिक है तब अनुज्ञापी के आवेदन पर इस माडल शाप को अनुज्ञापन एफ.एल.4एए प्रदान किया जायेगा जिसे अग्रेतर दो वर्षो तक नवीनीकृत किया जायेगा। इस हेतु अनुज्ञापी को अतिरिक्त लाइसेंस फीस रू0 2000000/— जमा कराना होगा। माडल शाप और प्रीमियम माडल शाप पर मदिरा पान का शुल्क रूपया 3,00,000/— निर्धारित किया गया है।

18—वर्ष 2024—25 में व्यवस्थित प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापनों का वर्ष 2025—26 हेतु निर्धारित लाइसेन्स फीस पर नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण हेतु प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस जमा करके इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी में प्रस्तुत किये जायेंगे। लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा 7 कार्य दिवस के अंदर प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर निर्णय लेते हुये उपयुक्त पाये जाने पर अनुज्ञापी को लाइसेन्स फीस जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। वर्ष 2024—25 में प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु रूपया पच्चीस लाख लाइसेन्स फीस निर्धारित है जिसे वर्ष 2025—26 में यथावत रखा

Scanned with CamScanner

देशी शराब फ—

13—जनपद की समस्त एफ0एल0—5डी दुकानों के कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व वर्ष 2024—25 में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये गठित कम्पोजिट दुकानों में तर्कसंगत रूप से पुनर्आवंटित किया जायेगा। इस पुनर्आवंटन की प्रकिया में समस्त कम्पोजिट दुकानों पर आवंटित विदेशी मदिरा का कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व, वर्ष 2024—25 में निर्धारित जनपद के समस्त एफ0एल0—5डी दुकानों के कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व एवं इस पर 5 प्रतिशत वृद्धि के पश्चात प्राप्त योग से कम नहीं होगा। इस प्रकार आवंटित न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व रू0 5,000/— के निकटतम अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा जो वर्ष 2025—26 हेतु कम्पोजिट दुकान का निर्धारित वार्षिक एम0जी0आर0(एफ0एल0) होगा जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन प्रस्तर—5.6.1 के अनुसार होगा। तत्पश्चात लाइसेंस फीस दर—1 के आधार पर विदेशी मदिरा की लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस—1) का आगणन किया जायेगा। इस प्रकार गठित किसी भी कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस—1 एवं तद्नुसार सम्बन्धित एम0जी0आर0 प्रस्तर—5.9.2.1 में प्राविधानित न्यूनतम से कम नहीं होगा।

14—जनपद की समस्त एफ0एल0—5बी दुकानों के कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व वर्ष 2024—25 में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये इसको उपरोक्त उप प्रस्तर—(3) के अनुसार गठित कम्पोजिट दुकानों में तर्कसंगत रूप से पुनर्आवंटित किया जायेगा। इस पुनर्आवंटन की प्रकिया में समस्त कम्पोजिट दुकानों पर आवंटित बियर का कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व, वर्ष 2024—25 में निर्धारित जनपद के समस्त एफ0एल0—5बी दुकानों के कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व एवं इस पर 5 प्रतिशत वृद्धि के पश्चात प्राप्त योग से कम नहीं होगा। इस प्रकार आवंटित न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व रू0 5,000/— के निकटतम अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा जो वर्ष 2025—26 हेतु कम्पोजिट दुकान का निर्धारित वार्षिक एम0जी0आर0(बीयर) होगा जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन प्रस्तर—5.6.1 के अनुसार होगा। तत्पश्चात लाइसेंस फीस दर—2 के आधार पर बीयर की लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस—2) का आगणन किया जायेगा। इस प्रकार गठित किसी भी कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस—2 एवं तद्नुसार सम्बन्धित एम0जी0आर0 प्रस्तर—5.9.2.1 में प्राविधानित न्यूनतम से कम नहीं होगा।

15—उपरोक्तानुसार आंगणित लाइसेंस फीस—1 एवं लाइसेंस फीस—2 को निकटतम रू0—5,000/— के अगले गुणक तक राउण्ड ऑफ कर अंतिमीकृत किया जायेगा। इस प्रकार आगणित अंतिमीकृत लाइसेंस फीस—1 एवं अंतिमीकृत लाइसेंस फीस—2 का योग कम्पोजिट दुकान की वर्ष 2025—26 हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस होगी। प्रत्येक कम्पोजिट दुकान की अंतिमीकृत लाइसेंस फीस—1 एवं अंतिमीकृत लाइसेंस फीस—2 और सम्बन्धित एम0जी0आर0 (एफ0एल0) एवं एम0जी0आर0(बीयर) का प्रत्येक स्तर पर लेखा—जोखा रखा जाना अनिवार्य होगा।

16—यदि किसी कम्पोजिट दुकान के परिसर में माडल शाप हेतु आवश्यक अर्हतायें विद्यमान हो एवं लाइसेंस फीस नवसृजित माडल शाप की लाइसेंस फीस के बराबर अथवा अधिक हो तो सम्बन्धित अनुज्ञापी के अनुरोध पर कम्पोजिट दुकान को माडल शाप में परिवर्तित किये जाने का प्राविधान है। कम्पोजिट दुकानो की प्रतिभूति उनकी लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी। कम्पोजिट दुकानों पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

17—मॉडल शॉप्स की वर्ष 2025—26 हेतु प्रस्तर—5.11(1) के अनुसार तर्कसंगत रूप से पुनर्आवंटित की गयी वार्षिक लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये निर्धारित की गयी है। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5,000/— के गुणक में नहीं पायी जाती है तो उसे बढ़ाकर रूपया 5,000/— के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा। वर्ष 2023—24 में नवीनीकृत मॉडल शाप की लाइसेंस फीस सम्बन्धित प्रास्थिति, निकाय के लिये नवसृजित माडल शाप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम नहीं होने की व्यवस्था को समाप्त किया गया है। उक्त निर्णय वर्ष 2025—26 में यथावत रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु माडल शाप के परिसर का न्यूनतम आवश्यक कार्पेट क्षेत्र 400 वर्ग फुट निर्धारित किया जाता है। नगर निगम क्षेत्रों मे यदि किसी माडल शॉप के परिसर का कारपेट क्षेत्र (प्रयुक्त समस्त तलों के क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये) 3000 वर्ग फुट अथवा अधिक है तब अनुज्ञापी के आवेदन पर इस माडल शाप को अनुज्ञापन एफ.एल.4एए प्रदान किया जायेगा जिसे अग्रेतर दो वर्षो तक नवीनीकृत किया जायेगा। इस हेतु अनुज्ञापी को अतिरिक्त लाइसेंस फीस रू0 2000000/— जमा कराना होगा। माडल शाप और प्रीमियम माडल शाप पर मदिरा पान का शुल्क रूपया 3,00,000/— निर्धारित किया गया है।

18—वर्ष 2024—25 में व्यवस्थित प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापनों का वर्ष 2025—26 हेतु निर्धारित लाइसेन्स फीस पर नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण हेतु प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस जमा करके इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी में प्रस्तुत किये जायेंगे। लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा 7 कार्य दिवस के अंदर प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर निर्णय लेते हुये उपयुक्त पाये जाने पर अनुज्ञापी को लाइसेन्स फीस जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। वर्ष 2024—25 में प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु रूपया पच्चीस लाख लाइसेन्स फीस निर्धारित है जिसे वर्ष 2025—26 में यथावत रखा

Scanned with CamScanner

जाता है। प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस वर्ष 2025–26 हेतु 75,000/– एवं नवीनीकरण फीस फीस भी रू0 75,000/– निर्धारित की गयी है।

**19**—जनपद में वर्ष 2024–25 में विदेशी मदिरा की 143 एवं बीयर की 130 (कुल संख्या 273) व्यवस्थित है, जिस सीमा तक कम्पोजिट दुकानों का गठन अनुमन्य है। जनपद में कुल 186 कम्पोजिट शाप गठित की गयी है, जिनमें से 128 दुकान वर्ष 2024–25 की अवस्थिति मे ही कम्पोजिट शाप के रूप में परिवर्तित/गठित की गयी है तथा 58 नवीन स्थलों पर कम्पोजिट दुकानों के गठन हेतु एफ.एल. 5डी/एफ.एल. 5बी दुकान को स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2025–26 हेतु देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकान(विदेशी मदिरा एवं बीयर को सम्मिलित करते हुये) एवं माडल शॉप की ई–लाटरी हेतु श्रेणीवार विवरण निम्नवत है:–

ई–लाटरी हेतु दुकानों का श्रेणीवार विवरण निम्नवत है:–

| मद | निर्धारित दुकानों की संख्या | ई–लाटरी हेतु दुकानों की संख्या |
|---|---|---|
| देशी शराब | 189 | 189 |
| कम्पोजिट दुकान | 186 | 186 |
| माडल शाप्स | 07 | 07 |
| योग | 382 | 382 |

उक्त तालिकानुसार दुकानों को ई–लाटरी के माध्यम से व्यवस्थित किया जाना निर्धारित है।

**20**—चरित्र प्रमाण पत्र वर्ष 2025–26 हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ के समक्ष 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना होगा ।

**21**—ई–लाटरी द्वारा आंवटित दुकानों को निर्धारित अवस्थिति में खोलने और संचालित करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापी का होगा।

13/3/25

(प्रदीप कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
मेरठ।